

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025


पत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प

- आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ठावारी  
 भू.अ.नि. मेवन्तूरिया की रिपोर्ट तथा तहसीलदार शिलमठा नायक  
 तहसीलदार की अनुरोधों के आधार पर राजस्थान भू-याचना अधिनियम  
 1956 की धारा 136 के अनुरक्षण में ग्राम लड़पचा तहसील शिलमठा  
 जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 142 में  
 वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
 दरामद के आदेश दिये जाते हैं -


क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>लड़पचा</u>	<u>142</u>	<u>जमनी पुत्री कालु</u> <u>भीम हिमा-</u> <u>1/12</u> <u>M.A.4. B.</u> <u>शाखा रसीवा</u> <u>उपखण्ड चनेटिया</u>	<u>जमनी पुत्री</u> <u>कालु भीम</u> <u>हिमा - 1/12</u> <u>M.A.4. B.</u> <u>शाखा रसीवा</u> <u>उपखण्ड चनेटिया</u>

  
 पीठासीन अधिकारी  
 लोक अदालत  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
**रेलमारा**

क्रमांक - 372  
 त्तिलिपि -

दिनांक - 16/10/25

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री को सूचनाएँ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
 पीठासीन अधिकारी  
**उपखण्ड अधिकारी**  
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर  
**रेलमारा**